

an>

Title: Regarding use of hazardous chemicals to enhance vegetable production.

ॐ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : अध्यक्ष मण्डोदर्या, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। आज ग्रामीण अंतर्लोगों में सब्जी के किसान तत्काल लाभ उठाने के चरकर में जहरीली चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियों में खासकर लौटी जो इतनी छोटी है, यह को इंजेवशन लगा दिया और लौटी दिन में बड़ी हो जई, बैगन इतना छोटा, यह में इंजेवशन लगा दिया, बैगन इतना बड़ा हो जाया। वे आविस्टोशिन इंजेवशन लगाते हैं जो कि गार्डों और भैंसों को दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यह जहरीला होता है। आज इस तरह की चीजों के चलते गार्डों और शहरों में तमाम लोग गंभीर सीमारियों के शिकार हो रहे हैं। किडनी, लीवर, ढाथ, पैर डैमेज हो रहे हैं। गंभ में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि दवाओं का प्रयोग किस मात्रा में किस स्तर तक किया जाए। इस नाते इस तरह की जहरीली दवाओं पर कोई ऐसा प्रवधान कृपि अनुसधान के भेत्र के लोग कहें, जिससे इस पर योग लगें। इस तरह की चीजों के नियाश का उपाय किया जाए। उपज बढ़ाने के चरकर में किसान ऐसी जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं।

जो अधिक्षित किसान हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए कि वे किस तरह से दवाओं का प्रयोग करें और किस तरह से कीटनाशकों का प्रयोग करें। इसे ब्लॉक स्तर पर करें, वर्योंकि यह बहुत लोक महत्व का विषय है। इससे जनजीवन का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इस और मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूं कि दोपहर में नियम 193 के तहत भी इस पर डिटेल में बोता जा सकता है।

Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Dr. Mahendra Nath Pandey.